न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2760–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–8–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 38/2014–15/अपील

.....

1–हरी पुत्र मुतिया
2–मुकेश पुत्र श्री हरी
3–मोहन पुत्र श्री हरी
4–मनफूल पुत्र श्री हरी
5–भरोसी पुत्र श्री हरी
6–तुलाराम पुत्र श्री हरी
7–दयाराम पुत्र श्री अमरजीत
8–महेश, राजू, गोविन्ददास पुत्रगण श्री दयाराम
समस्त निवासीगण कुलैथ तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती भूरीबाई पत्नी श्री धनीराम
2–श्रीमती इमरतीबाई पत्नी श्री राधाकिशन
3–श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी श्री धर्मजीत
4–श्रीमती महादेवी पत्नी श्री पुरूषोत्तम
समस्त निवासीगण ग्राम कुलैथ,
तहसील व जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0सेंगर, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री आरए0एस0गौड़, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 7–7–2015 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जाकर स्थगन की मॉग की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 10–8–2015 को आदेश पारित कर स्थगन के संबंध में इस आशय का आदेश पारित किया गया कि अभिलेख प्राप्त होने पर स्थगन के बिन्दु पर निराकरण किया जायेगा । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण के निराकरण में निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार कर किया जा रहा है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) दस्तावेजों से प्रथमदृष्टया सिद्ध है कि अनावेदकगण, आवेदकगण को उनके कब्जे वाली भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा स्थगन आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने से प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण को बेदखल कर दिया जायेगा, जिससे उन्हें अपरिमित क्षति होगी, ऐसी स्थिति में स्थगन दिया जाना आवश्यक है ।

(3) विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा अपना दावा सिद्ध नहीं करने के बाद भी आवेदकगण को बेदखल करने का आदेश देने में त्रुटि की गई है।

(4) आयुक्त द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है कि स्थगन के संबंध में प्रस्तुत आधार क्योंकर मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

5/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है,

इसके बावजूद भी आवेदकगण द्वारा स्थगन की मॉग की गई है, जो कि नहीं की जा सकती है । अतः आयुक्त द्वारा स्थगन आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिसकी वैधानिकता पर विचार किया जाना आवश्यक हो । आयुक्त द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन का निराकरण अभिलेख प्राप्त होने पर किया जाना आदेशित किया गया है, अतः आयुक्त के समक्ष अभिलेख प्राप्त होने पर आवेदकगण पुनः स्थगन का निवेदन कर सकते हैं । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–8–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर